

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/1143 /

जबलपुर, दिनांक.....³/₀₁/²2020

श्री अरविन्द बारमाटे, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के विरुद्ध रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक डी/3886, जबलपुर दिनांक 19.06.2018 द्वारा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात दो से अधिक संतान का जन्म होने के फलस्वरूप प्रस्तावित विभागीय जांच की कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-8-2006-3-एक, भोपाल दिनांक 05.07.2006 के नियम 6 के उपनियम (6) में निहित प्रावधानों के आलोक में द्वितीय प्रसूति में दोनों जुड़वा संतान होने से बंद (Drop) की जाती है।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)


रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक.....³/₀₁/²2020

पृष्ठांकन क्रमांक D/1144 /

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशा. / आई.एल. / न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु,
3. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्था. / पेंशन / लेखा / न्यायिक, उच्च न्यायालय म.प्र.जबलपुर,
6. सहायक स्थापना / पेंशन / वेतन पत्रक / सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र.,जबलपुर,
9. श्री अरविन्द बारमाटे, जुडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(श्याम बिहारी वर्मा)
रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन)
for